

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 769 / 2014..... जिला : बीकानेर.....  
मैसर्स डी.एम.फूड प्रोडक्ट्स, बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत, बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2014	<p style="text-align: center;"><b>खण्डपीठ</b> <b>श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य</b> <b>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री नारायण दास तुलसानी, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरुद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, विशेष वृत, बीकानेर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24, 33, 55, 58 व 65 के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लिए पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.02.2014 में विवादित मांग राशि रु. 1,76,465/- की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में विवादित स्थगन हेतु आवेदित राशि रु. 1,76,465/- पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि रु. 1,76,465/- की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (<b>Adequate Security</b>) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p>(सुनील शर्मा) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">(जे.आर.लोहिया) सदस्य 11/06/14</p>	